

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Hi. 557]

नई दिल्ली, बुघवार, दिसम्बर 19, 2007/अग्रहायण 28, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2007/AGRAHAYANA 28, 1929

No. 557]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विमाग)

अधिसूधना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 781(अ).—हिमाचल ठच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 2007 की 968 में दिये गए आदेश के अनुसरण में, सं. सा.का.नि. 641(अ), दिनांक 1 अक्तूबर, 2007 के तहत अधिसूचित सिगरेट और अन्य तम्बाक् उत्पाद (पैकेबिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2006 को 17 मार्च, 2008 तक लागू नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. पी-16011/7/2005-पीएच] प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2007

G.S.R. 781(E).— In pursuance of Himachal High Court Order in CWP No. 968 of 2007 dated 28th November, 2007, the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006 notified vide No. G.S.R. 641(E) dated 1st October, 2007 will not be given effect till 17th March, 2008.

[F. No. P-16011/7/2005-PH]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.